

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

प्रसारण गांधी के संग अभियान-2021

कदमा संख्या :- 63/2021 90 फा

1. कर्णसिंह 510 मदनसिंह सिन्धुवा नि० करेडा - वरु करेडा  
प्रार्थी.....

बनाम

1. शिवरा 56 रामकृष्ण जैनी नि० करेडा - काठे

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 11/11/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत  
र निवेदन किया कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त  
खातों की खाता संख्या 147 आराजी नम्बर 4205 4213 8013/4205 8014/4205  
0.4300 / 0.2150 / 0.1644 / 0.1644 /

कुल किता 4 रकबा 0.9738

वटेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने  
आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की  
मि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22/2/21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
ब्लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी  
राने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी  
ने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते  
ये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम  
करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या  
आराजी नम्बर 4205 4213 8013/4205 8014/4205  
0.4300 / 0.2150 / 0.1644 / 0.1644 /

कुल किता 4 रकबा 0.9738

हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-  
मिलेख निरीक्षक करेडा को 550/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया  
जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की  
जुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर  
पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

अलग:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा